संख्या-6/2019 /289/33-3-2019-100(13)/2015

प्रेषक,

जोगेन्द्र प्रसाद
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उ0प्र0, लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3 **लखनऊ: दिनांक: 28 फरवरी, 2019**

विषय- वित्तीय वर्ष 2018-19 अनुदान संख्या- 83 में आयोजनागत मद में बहु उद्देशीय पंचायत भवनों के निर्माण (जिला योजना) हेतु आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि में से रू0 15.88 लाख अवमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-5/143/2019-5/43/2018 दिनांक 28.01.2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला योजनान्तर्गत वर्ष 2018-19 में बहु उद्देशीय पंचायत भवनों के निर्माण हेतु अनुदान संख्या- 83 के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 में प्राविधानित धनराशि रू0 400.00 लाख के सापेक्ष शासनादेश संख्या-54/2017/1731/33-3-2018-100(13)/2018 दिनांक 29.06.2018 द्वारा धनराशि रू. 384.12 लाख अवमुक्त की गई थी। उक्त अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 15.88 लाख (रूपये पन्द्रह लाख अटठासी हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन जनपद-गोरखपुर में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत एस.सी. एस.पी. हेतु निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार पंचायत भवन निर्माण के लिए श्री राज्यपाल महोदय व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) पंचायत भवन निर्माण के लिए अनुमन्य धनराशि रू. 17.46 लाख के सापेक्ष रू. 15.88 लाख अवमुक्त किया जा रहा है। अवशेष धनराशि रू. 1.58 लाख अनुदान संख्या-14 के अन्तर्गत व्यवस्थित धनराशि से अवमुक्त किया गया है।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग स्वीकृत प्रयोजन के लिए ही किया जायेगा। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

(3) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का आहरण वर्ष 2018-19 की अवधि में ग्राम पंचायत द्वारा कार्य पर वास्तविक रूप से व्यय/उपभोग की आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा तथा व्यय के सम्बन्ध में 2018-19 एवं इस संबंध में जारी किये गये अन्य समस्त आदेशों में उल्लिखित निर्देशों का कडाई से अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) उपरोक्तानुसार आवंटित धनराशि संबंधित जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार राजकोष से आहरित कर संबंधित ग्राम पंचायत को उपलब्ध करायी जायेगी। संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा इस धनराशि को ग्राम पंचायत निधि में जमा कराकर व्यय किया जायेगा। संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी को नियमानुसार निर्धारित रूप पत्र पर उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा। धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व पंचायत भवन के निर्माण के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जाए तथा मानचित्र सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराकर उसके अनुसार निर्माण कराया जायेगा।

(5) उपरोक्त के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(6) उक्त मदों में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक "-4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-789- अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-06- बहु उद्देशीय पंचायत भवनों का निर्माण (जिला योजना) -24 वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

(7) स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का व्यय योजना आयोग भारत सरकार /राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0पी0 के लिए निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अत: व्यय करते समय मितव्ययता

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-4/2018/ आर0जी0-1021/ दस/ 2018-मित0-1/2017 दिनांक 18.09.2018 विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

(9) प्रशासनिक विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत योजना पूर्व से संचालित किसी अन्य योजना से आच्छादित /स्वीकृत न हो और न ही किसी अन्य प्रस्तावित योजना से आच्छादित /स्वीकृत हो।

(10) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी0एम0-13 पर लेखाशीर्षक /मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के दृष्टिगत एक मुश्त आहरित की जायेगी।

(12) प्रश्नगत पंचायत भवन के मानकीकरण में प्रस्तावित कुर्सी क्षेत्रफल एवं विशिष्टियों के आधार पर स्वीकृत परियोजना का संबंधित जनपद के एस.ओ.आर. पर विस्तृत आगणन पर कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने/ प्राप्त करने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(13) बहु उददेशीय पंचायत भवन के निर्माण की निर्धारित मानक के अनुसार गुणवत्ता युक्त कार्य की देखरेख एवं उसकी समीक्षा हेतु जनपद स्तर पर एक नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा और नामित नोडल अधिकारी प्रतिमाह निर्माण की प्रगति से शासन/ निदेशालय को अनिवार्य रूप से अवगत कराया जायेगा।

(14) जनपद स्तर पर जिस ग्राम में बहु उददेशीय भवन का निर्माण किया जाना है उसका चिन्हीकरण होने के बाद चिन्हित ग्रामों की सूची शासन/ निदेशक को भेजा जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

2- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/ दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2018/बी-1-438/दस- 2018-231/2018, दिनांक 20.04.2018 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(जोगेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव।

संख्या तथा दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- जिलाधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी, गोरखपुर।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- समस्त संबंधित कोषाधिकारी उ0प्र0।
5- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2
6- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7- समाज कल्याण बजट प्रकोष्ठ।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जोगेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in